न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

पत्रावली सं :: 125/2025/दावा

पंकज शर्मा बनाम संजीव कुमार आदि

उपस्थितः–1. श्री हरफूल सिंह खीचड़ वकील प्रार्थी/प्रति0सं0 1 की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, वकील अप्रार्थी/वादी की ओर से।

आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव
धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी।

निर्णय दिनांक :: 23.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी/ प्रतिवादी सं0 1 ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा ग्राम अखैपुरा प0ह0 किशनपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र राणोली तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 420/81 रकबा 0.5360 है0 के बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ बाबत उपरोक्त वाद पत्र पेश किया गया है। प्रति0सं0 1 द्वारा एक दावा सं0 124/2024 बउनवानी संजीव कुमार बनाम पंकज शर्मा आदि बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एंव रिकॉर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया था। जिसमें बाद पत्र के सभी पक्षकार संयोजित थे तथा वादी बतौर प्रति0सं0 1 पक्षकार संयोजित था, जिसमें दिनांक 09.04.25 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी तथा दिनांक 18.06.25 को अंतिम डिक्री व निर्णय पारित किया गया था, जिसकी वादी को प्रारम्भ से ही जानकारी है। क्योंकि वादी द्वारा पूर्व वाद सं0 124/2024 के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन सं0 106/2024 में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 08.10.2024 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, सीकर के यहां एक अपील सं0 162/2024 प्रस्तुत की गयी थी। राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के निर्णय के विरूद्ध एक निगरानी सं0 8711/2024 बउनवानी पंकज शर्मा बनाम संजीव आदि प्रस्तुत की गयी थी, जो दिनांक 19.12.2024 को खारिज हो चुकी है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। आवेदन पत्र पेश कर इसे स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी/वादी ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश निवेदन किया है कि आवेदन की मद सं0 1 में भूमि अवस्थित होने व खसरा नंबर रकबा सही होना व वाद मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कथन स्वीकार है। मद सं0 2 जिस प्रकार से तहरीर की गई है, गलत होने से अस्वीकार है। विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रतिवादी द्वारा पूर्व में जो वाद

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

उनवानी संजीव बनाम पंकज शर्मा प्रस्तुत किया गया था। वह बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा एंव रिकॉर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पैरा सं0 1 में ख0नं0 420/81 रकबा 0.5360 है0 ख0नं0 416/79 रकबा 0.4410 है0 व ख0नं0 418/80 रकबा 0.3377 है0 जिनके पुराने ख0नं0 1851 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा व ख0नं0 1852 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा अंकित है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने वाद पत्र की मद सं0 3 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान मूल ख0नं0 79, 80, 81 की तरमीम जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुरूप नहीं कर खसरा नंबर 79 की तरमीम दर्ज रकबे से ज्यादा कर दी तथा ख0नं0 80, 81 की तरमीम दर्ज रकबे से कम कर दी, भूमि ख0नं0 416/79 का रकबा जमाबंदी में 0.4410 है0 दर्ज है जबकि नक्शे के अनुसार रकबा 0.5380 है0 बनता है तथा ख0नं0 418/80 का रकबा जमाबंदी में 0.3370 है0 दर्ज है, जबकि नक्शे के अनुसार रकबा 0.3143 है0 बनता है तथा इसी अनुसार ख0नं0 420/81का रकबा जमाबंदी में 0.5360 है0 दर्ज है, जबकि नक्शे के अनुसार 0.4931 है0 बनता है। कृषि भूमि ख0नं0 418/80, 416/79 के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों की भूल का नाजायज फायदा उठाकर मौके पर नक्शे के अनुरूप कब्जा करने पर आमादा है तथा इसी अनुसार अपने वाद में सहायता चाही गई है। उपरोक्त वाद भूमि की तरमीम बाबत है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मात्र बंटवारे का प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रति0सं0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन गलत व निराधार आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, साथ ही यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रति0सं0 1 द्वारा ही वादी को भूमि बेचान की गई है। प्रति0सं0 1 को सारी स्थिति की जानकारी होने के बावजूद प्रार्थी/वादी को हैरान व परेशान करने के आशय से माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रति0सं0 1 स्वंय द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि को लघु भूखण्डों में विभक्त कर बेचान कर रहा है तथा वादी के हक व हिस्से पर दखलदांजी कर रहा है। इस कारण वादी की ओर से मान0 न्यायालय के समक्ष बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रति0 सं0 1 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादी का वाद सही तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया होने के कारण वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित व आवश्यक है। जवाबदाता द्वारा जवाब आवेदन पेश कर प्रति0सं0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन मय विशेष हर्जा खर्चा सहित खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी/प्रति0सं0 1 ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को ही दोहराया तथा निवेदन किया कि उक्त भूमियों का मेरा दावा पूर्व में दावा किया गया था। पंकज शर्मा प्रतिवादी एक पर दर्ज थे। वाद में दिनांक 09.04.25 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई व दिनांक 18.06.25 को फाईनल डिक्री जारी हो गई। वाद सं0 124/24 वाद पेश किया था, जो वादी कह रहा है कि मेरी जानकारी में नहीं था। पूर्व वाद सं0 124/24 के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन के विरूद्ध एक अपील मु0नं0 162/24 माननीय राजस्व अपील अधिकारी,सीकर के यहां टी0आई0 के खिलाफ पेश की। वहां उनको रिलिफ नहीं मिली। इसके बाद रेवेन्यू बोर्ड गये और वहां

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

भी इनको निगरानी सं0 8711/2024 में कोई रिलिफ नहीं मिली, जिसमें इस वाद का वादी पंकज शर्मा निगरानीकर्ता सं0 1 के रूप में पक्षकार संयोजित है। ये दावे में हाजिर नहीं आ रहे है, केवल टी0आई0 के खिलाफ अपर न्यायालय में जा रहे है। इन्होंने माननीय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के यहां पी0डी0 एंव एफ0डी0 की अपील कर रखी है। धारा 11 सीपीसी के प्रावधानुसार किन्हीं भूमियों के संबंध में एक बार निस्तारण होने के उपरान्त किसी बिन्दू का निस्तारण किया जाता है तो वह दोबारा दावा नहीं ला सकता है। वाद कारण में कहना है कि बंटवारे से मना कर दिया। जबकि माननीय न्यायालय द्वारा इन भूमियों के संबंध में 124/2024 का मैरिट के आधार पर वाद निर्णित होकर अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.25 को इनका वाद विधि द्वारा वर्जित है। बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांत 2008 (2) आरएलडब्ल्यू पेज सं0 1390 पेश किया।

अप्रार्थी/वादी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उक्त वाद ख0नं0 420/81 से संबंधित है। मैं भूमि का खरीददार हूं। पहले वाले दावे की रिलिफ अलग है और मेरी रिलिफ अलग है। प्रार्थी/प्रति0सं0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी चलने योग्य नहीं है। बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2003(1) पेज सं0 633 पेश किया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादीगण द्वारा वाद बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर ग्राम अखैपुरा प0ह0 किशनपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र रानोली तह0 दांतारामगढ़, सीकर का वादी एंव प्रति0सं0 1 ता 3 के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हक हिस्से के अनुसार विधिवत रूप से बाई मिट्स एंड बाउण्डस बंटवारा करने एंव प्रति0सं0 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने की मौका एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने, हेतु निवेदन किया गया था।

चूंकि प्रति0सं0 1 द्वारा एक दावा सं0 124/2024 बउनवानी संजीव कुमार बनाम पंकज शर्मा आदि बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एंव रिकॉर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया था। जिसमें वाद पत्र के सभी पक्षकार संयोजित थे तथा वादी बतौर प्रति0सं0 1 पक्षकार संयोजित था, जिसमें दिनांक 09.04.25 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी, जिसमें इस वाद में वर्णित खसरा नं0 420/81 वाद की विषय वस्तु का निस्तारण पूर्व वाद में किया जा चुका है तथा दिनांक 18.06.25 को अंतिम डिक्री व निर्णय पारित किया गया था, जिसकी वादी को प्रारम्भ से ही जानकारी है। क्योंकि वादी द्वारा पूर्व वाद सं0 124/2024 के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन सं0 106/2024 में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 08.10.2024 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, सीकर के यहां एक अपील सं0 162/2024 प्रस्तुत की गयी थी।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के निर्णय के विरूद्ध एक निगरानी सं0 8711/2024 बउनवानी पंकज शर्मा बनाम संजीव आदि प्रस्तुत की गयी थी, जो दिनांक 19.12.2024 को खारिज हो चुकी है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण एंव बहस के दौरान प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में चस्पा होने से न्यायालय प्रार्थी/ प्रतिवादी सं0 1 ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार करना न्यायालय उचित समझता है।

वादी द्वारा वाद में जो अनुतोष चाहा गया है, उसके संबंध में अनुवानी प्रकरण संजीव बनाम पंकज के तहत निर्णय दिनांक 18.06.2025 को खाता विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जा चुकी है, जो तथ्य प्रति0सं0 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चूंकि वादी का अनुतोष पूर्व प्रस्तुत प्रकरण में अनुतोष के हमराह खाता विभाजन प्राप्त करने का है, जिसके संबंध में न्यायालय में पूर्व में विचारण उपरांत डिक्री पारित की गई थी। अतः पृथक से इस बिन्दु पर इस प्रकरण में पुनः अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। वादी खाता विभाजन की डिक्री से सहमत नहीं होने की स्थिति में चाराजोही करने का अधिकारी है। प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य नहीं होने से इस स्तर पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/ प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर